झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **आदेश** ::

आदेश संख्याः–5/आरोप–1–143/2017 का० 8467/राँची, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

श्री राजीव नीरज, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजनगर, सरायकेला–खरसावाँ के विरूद्ध आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा के पत्रांक–398, दिनांक 06.06.2017 द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–7579, दिनांक 28.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा निर्धारित किया गया।

2. प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक–741, दिनांक 19.09.2017 द्वारा श्री नीरज के विरूद्ध सरायकेला–खरसावाँ जिला के अन्तर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के कथित बच्चा चोरी के अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेने संबंधी आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

3. श्री नीरज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–197(HRMS), दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री नीरज को निलंबन से मुक्त करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त किया गया है।

4. अवर सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक–339, दिनांक–04.04.2018 द्वारा श्री नीरज के निलंबन अवधि की सेवा को विनियमित करने के संबंध में इनके द्वारा समर्पित आवेदन उपलब्ध कराया गया है।

5. इस प्रकार, श्री नीरज दिनांक 28.06.2017 से 28.02.2018 तक निलंबित रहे हैं, अतः समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक 28.06.2017 से 28.02.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–11 के तहत् कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19/11/18

(अशोक कुमार खेतान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–143 / 2017 का०–8467 / राँची, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग / विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग / प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) / उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ / उपायुक्त, लोहरदगा / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4 / अवर सचिव, प्रशाखा–5 एवं 6 / श्री राजीव नीरज, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव।